आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

19/01/2024

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. -17/2023-24

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** पिंकी कुमारी एवं अन्य।

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक–1182/अप0शा0, दिनांक–25.08.2023 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या–49/2023 दिनांक–12.07.2023 में जप्त 7.5 (साढ़े सात) क्वींटल अवैध कच्चा कोयला को अधिग्रहण किये जाने के अनुरोध पर दायर है।

उक्त वाद में नाला थाना काण्ड संख्या–49/2023 दिनांक–12.07.2023 में प्राथमिकी अभियुक्त अज्ञात है। तत्पश्चात अज्ञात मोटरसाइकिल/वाहन के मालिक का नाम पता उपलब्ध कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी जामताड़ा को पत्राचार किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी जामताड़ा कार्यालय के पत्रांक–319/परि0, दिनांक–11.11.2023 द्वारा प्राप्त हुआ। वाहनों के मालिकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस को निबंधित डाक द्वारा भेजा गया। जिसमें से विपक्षी पिंकी कुमारी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वकालतनामा के साथ हाजरी दाखिल किया गया, मृण्मय मुखर्जी का पता अन्यत्र स्थानांतरण होने के कारण नोटिस वापस प्राप्त हुआ। अन्य विपक्षी के नोटिस वापस प्राप्त होनी है।

पिंकी कुमारी पति–फाल्गुनी रविदास, साकिन–गोसाईडीह, पोस्ट–के0जी0 आश्रम, थाना–गोविन्दपुर, जिला–धनबाद के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि इन घटनाओं से मेरा कोई लेना–देना नहीं है और भविष्य में इस मोटरसाइकिल, जप्त सामग्री से संबंधित कोई भी दावा नहीं है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त कांड में जप्त 7.5 (साढ़े सात) क्वींटल अवैध कच्चा कोयला का राजसात की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(v) के तहत पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक–1182/अप0शा0, दिनांक–25.08.2023 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या–49/2023 दिनांक–12.07.2023 में जप्त 7.5 (साढ़े सात) क्वींटल अवैध कच्चा कोयला को अधिग्रहण (Confiscation) किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी जामताड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे जप्त 7.5 क्वींटल अवैध कच्चा कोयला को नियमानुसार निलाम करने के पश्चात् प्राप्त राशि जिला कोषागार जामताड़ा में संगत शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.02.14 13:21:12 +05:30
Location: 192.168.43.106